भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 967

08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

बैटरी विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना

967. श्री मनोज कोटक:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बैटरी विनिर्माण की कम लागत को सुनिश्चित करने के लिए बैटरी विनिर्माण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सहभागी कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने के बाद अगले पांच वर्षों में बैटरी उद्योगों की अनुमानित संख्या और इसके मूल्य का अनुमान क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ): महोदय, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी निर्माण की लागत को कम करने के प्रयोजन से सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु 12 मई, 2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है। स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण (50 गीगावाट घंटा) व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावाट घंटा उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम मेंप्रति किलोवाट घंटा लागू सब्सिडी और उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने वाले विनिर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन संबद्ध सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

*****